

चाईल्ड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कर्मांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	8957	नोनी सुरक्षा योजना	प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजनांतर्गत प्रति बालिका 05 वर्ष तक लगातार 5000 के मान से राशि विनियोजित किया जाता है। बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्वता राशि 1,00,000 रु. देय होती है।	252600	252200	लाभान्वित बच्चों की संख्या-7500
2.	7361	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0-किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि।	851094	570000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-250000
3.	7680	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक	आंगनबाड़ी केन्द्रों में ईसीसीई पाठ्यक्रम को लागू करना तथा संसाधन युक्त बनाना	269000	290000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-950000
4.	6651	पालना	कामकाजी महिलाओं के 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना	140400	200000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-15000
5.	9949	मिशन वात्सल्य	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु।	1243440	940080	-
6.	7303	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुदान प्रदाय किया जाना।	31000	31000	-

चाईल्ड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना कर्मांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
7.	7093	राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	<p>यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका छात्रवृत्ति नियम, 2003 के तहत प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाती है। पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के दौरान 500/- प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा (स्नातक/ स्नातकोत्तर) /शोधकार्य (पी.एच.डी.) के दौरान रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।</p> <p>तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग/तकनीकी शिक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भी 1500/- रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।</p> <p>इस छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की आय का कोई बंधन नहीं होता है। यह छात्रवृत्ति बालक/बालिका को प्राप्त होने वाली अन्य मैरिट छात्रवृत्ति अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।</p>	700	1300	-

चाईल्ड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित 0 से 18 वर्ष	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	6642	बेटी बचाओ, बेटी बढाओ	बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद समाप्त करने बालिकाओं की उत्तरजीविका, सुरक्षा तथा शिक्षा सुनिश्चित किया जायेगा।	81003	81003	-	-
9.	6696	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालकों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर बालकों को आवश्यक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आप्टर केयर कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री बाल उदय योजना' के क्रियान्वयन हेतु।	10000	3020	-	-
10.	7031	चाईल्ड हेल्प लाईन 1098	मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) के संचालन हेतु।	105300	105300	-	-

चाईलड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

ब. बाल समावेशी योजना (योजनाएं जिसमें बच्चे भी लाभान्वित हैं)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	बच्चों के लिए प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7096	कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम	प्रदेश के 0-5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना। अभियान अंतर्गत गर्म भोजन एवं अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अण्डा, चिकी, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं के आई.एफ.ए. अथवा सिरप कृमि नाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएँ दी जा रही हैं।	0	8280000	4140000	725000
2.	9044	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	योजनांतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना व्यय एवं योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन। 0-6 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार तथा 03-06 वर्ष तक बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाना।	8442004	6423661	6423661	लाभान्वित बच्चों की संख्या -2300000

चाईल्ड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

ब. बाल समावेशी योजना (योजनाएं जिसमें बच्चे भी लाभान्वित हैं)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	बच्चों के लिए प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	9050	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0 -पूरक पोषण आहार योजना	प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना	7522400	7000000	7000000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-2300000